अनुमोदन हेतु प्रारूप

संचिका संख्या – 5 पी० विविध कुक्कुट (1) 10/2010 प० पा० .... 2214- 13/10/10

झारखण्ड सरकार

पशुपालन एवं मत्स्य विभाग

(पशुपालन)

"संकल्प"

विषय :– **राज्य में कुक्कुट पालन को कृषि का दर्जा प्रदान करने के संबंध में।**

झारखण्ड राज्य में कुक्कुट पालन हेतु अनुकूल वातावरण होने के बावजूद यह राज्य कुक्कुट पालन एवं उनके उत्पाद में पड़ोसी राज्यों की तुलना में काफी पिछड़ा हुआ है। राज्य में अंडे का उत्पादन 25 अंडे प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष है जबकि राष्ट्रीय औसत 42 अंडे प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष है। राज्य में कुक्कुट मांस के खपत का लगभग 60–70% आपूर्ति पड़ोसी राज्यों से होता है। इस प्रकार मांग एवं उत्पादन के बीच एक बड़ी खाई है जिसे पाटना आवश्यक है ताकि राज्य कुक्कुट मांस एवं अंडा उत्पादन में आत्म निर्भर हो सके। राज्य के ग्रामीण अर्थ व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए और व्यापक पैमाने पर कुक्कुट पालन को प्रोत्साहित कर राज्य में त्वरित आर्थिक विकास दर प्राप्त करने के उद्देश्य से कुक्कुट पालन को कृषि का दर्जा दिये जाने की आवश्यकता है।

2. पशुपालन मूल रूप से कृषि का ही Allied Sector है तथा इसके उत्पादन को कृषि उत्पादन के साथ जोड़कर ही कृषि का GDP निकाला जाता है। अतएव कुक्कुट पालन को भी कृषि का दर्जा देना समीचीन है।

3. **उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार के द्वारा राज्य में कुक्कुट पालन को कृषि का दर्जा प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया है।**

यह अपेक्षा की जाती है कि उपरोक्त सुविधाओं के प्राप्त होने से कुक्कुट पालन व्यवसाय राज्य के आर्थिक विकास में अपेक्षित योगदान दे सकेगा।

4. कुक्कुट पालन [illegible] दर्जा दिये जाने की स्थिति में निम्नवर्णित सुविधाएँ प्राप्त होंगी :–

(क) कुक्कुट पालकों को कुक्कुट पालन/कुक्कुट खाद्यान कारखाना आदि हेतु कृषि कार्य के लिए निर्धारित दर पर बैंक से ऋण उपलब्ध कराई जा सकेगी।

(ख) कुक्कुट पालन एवं उनसे संबद्ध कारखानों/व्यवसाय के लिए कृषि कार्य हेतु निर्धारित दर पर बिजली आपूर्ति की जा सकेगी।

(ग) कुक्कुट पालकों को भी किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ हेतु समुचित आदेश दिये जा सकेंगे।

(घ) सरकार इस sector को Priority sector for lending घोषित कर वित्तीय संस्थाओं को इस sector हेतु आवश्यक ऋण उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जा सकेगी।

(ङ) कुक्कुट आहार तथा कुक्कुट उत्पादन में कृषि के समरूप करों का निर्धारण किया जा सकेगा।

(च) कृषि क्षेत्र के लिए निर्धारित Lower premimum rate पर कुक्कुट फार्मों का Insurance के लिए बीमा कम्पनी को निदेशित किया जा सकेगा।

(छ) झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से कुक्कुट फार्मिंग से जुड़े Pollution control measures तथा उसके hygiene/sanitation आदि से संबंधित guidelines निर्धारित किये जायेंगे ताकि पशुपालन विभाग इसका समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित कर सकेंगे।

(ज) कुक्कुट पालन एवं उनसे संबंध व्यवसाय में काम करने वाले श्रमिकों को कृषि श्रमिक जैसी सुविधाये एवं लाभ दिये जायेंगे तथा वे श्रमिक उद्योग श्रमिक कानून के preview से मुक्त किये जा सकेंगे।

5. कंडिका – 4 में वर्णित सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु सभी संबंधित विभाग अपने स्तर से 30 दिनों के अन्दर अपेक्षित आदेश निर्गत करेंगे।

झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस उद्देश्य से समुचित अनुदेश निर्गत करेगा।

6. यह संकल्प मंत्रिपरिषद्, झारखण्ड के द्वारा दिनांक – 11.09.2010 को आयोजित बैठक में प्रदान की गई स्वीकृति के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सरकार के सभी विभागों को भेजी जाए तथा झारखण्ड गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित की जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

13.10.10

(अरूण कुमार सिंह)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक– 2214 .... **दिनांक** 13/10/010

प्रतिलिपिः– आयुक्त एवं सचिव / सचिव, कृषि विभाग / राजस्व एवं भूमि सूधार विभाग / वित्त विभाग / वित्त (वाणिज्य कर) विभाग / विद्युत विभाग / विधि विभाग / श्रम एवं नियोजन विभाग / सांख्यिक वित्त / झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद् को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इस संबंध में अपने विभाग से संबंधित अधिसूचना निर्गत करने का कष्ट करें।

13.10.10

सरकार के सचिव

ज्ञापांक– 2214 .... **दिनांक** 13/10/010

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, हिनू, राँची को सूचनार्थ एवं झारखण्ड गजट के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

13.10.10

सरकार के सचिव

ज्ञापांक– 2214 .... **दिनांक** 13/10/010

प्रतिलिपिः– संयोजक एस०एल०बी०सी०, इलाहाबाद बैंक, लालपुर, राँची / मुख्य महाप्रबंधक नाबार्ड, क्षेत्रीय नाबार्ड कार्यालय, आदिवासी हॉस्टल के सामने, करमटोली राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13.10.10

सरकार के सचिव

(3)

ज्ञापांक— 2214- दिनांक 13/10/010

प्रतिलिपि:— मुख्यालय के सभी पदाधिकारियों/कर्मचारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13.10.10

सरकार के सचिव

ज्ञापांक— 2214- दिनांक 13/10/010

प्रतिलिपि:— सभी क्षेत्रीय निदेशक पशुपालन/सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी/सभी महाप्रबंधक/सभी प्रबंधक/सभी सहायक निदेशक क्षेत्रीय कुक्कुट प्रक्षेत्र/मुख्य अनुदेशक, पशुपालन विद्यालय गौरियाकरमा, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13.10.10

सरकार के सचिव